

रिहाई के बाद कैदियों की पर्यवेक्षण योजना

- सेवा संबंधी विवरण

रिहाई के बाद कैदियों की पर्यवेक्षण योजना जो ऐसे श्रेणियों के कैदियों की सेवा में रत है, जिन्हें कैदियों की रिहाई के बाद कैदियों के अध्यादेश (अध्याय 475) के अनुसार रिहा किया है और यह 1996 में स्थापित समाज कल्याण विभाग और सुधारक सेवाएं विभाग का एक संयुक्त उद्यम है। यह योजना वयस्क, रिहाई प्राप्त कैदियों को सलाह और मार्ग दर्शन दिलाती है जो उन्हें, इस समाज में पुनः एकीकृत करने और एक कानूनी जीवन जीने में मदद करता है।

- लक्ष्य समूह

रिहाई के बाद पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुदेश प्राप्त रिहाई वाले कैदी जो रिहाई के बाद पर्यवेक्षण के अधीन है।

- सेवा की सामग्री

दंड संस्थाओं में कैदियों के यात्रा करने और उन्हें इस समुदाय में वापसी के लिए पुनर्योजना बनाने में मदद देते हैं।

इस तरह सुपरवाइजर्स को सलाह और परामर्श देना और उनके परिवार सदस्यों को भी परामर्श देना शामिल है, एव उनके गृह/कार्य में दैनिक विजिट और यदि आवश्यक हो तो कल्याणकारी सेवाओं संबंधी सुझाव दे।

- रिहाई बाद पर्यवेक्षण बोर्ड

इस बोर्ड के द्वारा ही समस्त पर्यवेक्षण आदेशों की अवधि और शर्तों को निश्चित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संगठन है, जिसमें न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और लगभग 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और बैरिस्टर सहित कम से कम छह अन्य सदस्यों के रूप में एक स्वतंत्र सांविधिक संगठन / सालिसीटर साथ ही सुधारक सेवा विभाग भी है।

- आवेदन की समीक्षा के लिए

कैदी/पर्यवेक्षित का यह अधिकार है कि वह रिहाई के बाद पर्यवेक्षण बोर्ड के लिए एक से ज्यादा अनुरोध न करे, जिसमें आदेश को बदलना या डिस्चार्ज करना आता है, जिसमें रिव्यू के लिए किसी भी समय, आदेश निर्माण के बाद लिखितरूप में आवेदन करना आदि सम्मिलित है।

- अन्य जानकारी

सभी संग्रहीत जानकारी पर सावधानी पूर्वक पर्सनल डाटा (गोपनीयता) अध्यादेश के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई योजना शुल्क निःशुल्क है।

- पता और फोन नम्बर

Flat 20 A-B, Block F, Senior Staff Quarters,

Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital,  
3 Lok Man Road, Chai Wan,  
Hong Kong  
टेलीफोन नम्बर: 2896 7318  
फैक्स नं: 2558 0595

● **कार्य समय**

(सोमवार से शुक्रवार तक) : सुबह 8:45 से साँय 5:30 तक

(भोजनावकाश: 12:30 p.m. से 1:30 p.m. तक)

(शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान बंद)